2014 का विधेयक संख्यांक 96

[दि नेशनल जुडिशियल अपाइंटमेंट्स कमीशन बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए और उनके स्थानान्तरण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत 5 करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "चेयरपर्सन" से आयोग का चेयरपर्सन अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 124क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "उच्च न्यायालय" से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी बाबत आयोग द्वारा किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ;

(घ) "सदस्य" से आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका चेयरपर्सन भी है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ।

आयोग का मुख्यालय ।

3. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

रिक्तियों को भरने के लिए आयोग को निर्देश ।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उच्चतम न्यायालय में और किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पदों में विद्यमान रिक्तियों के बारे में आयोग को उन रिक्तियों को भरने के लिए अपनी सिफारिशें करने हेतु संसूचित करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की पदावधि पूरी होने के कारण कोई रिक्ति होने की तारीख से छह मास पूर्व आयोग को, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अपनी सिफारिशें करने हेतु निर्देश करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की मृत्यु होने या उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण कोई रिक्ति होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, आयोग को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अपनी सिफारिशें करने हेतु निर्देश करेगी ।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के चयन की प्रक्रिया ।

5. (1) आयोग, उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश की भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में, यदि उसे पद धारण किए जाने के उपयुक्त माना जाता है, नियुक्ति की सिफारिश करेगा :

परंतु आयोग का ऐसा कोई सदस्य, जिसके नाम की सिफारिश के लिए विचार किया जा रहा है, उस बैठक में भाग नहीं लेगा ।

(2) आयोग, योग्यता, गुणता और ऐसे किसी अन्य मानदंड के आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उन व्यक्तियों में से, जो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के पात्र हैं, उस रूप में उनकी नियुक्ति के लिए उनके नामों की सिफारिश करेगा :

परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, सिफारिश करते समय ज्येष्ठता के अतिरिक्त, उस न्यायाधीश की योग्यता और गुणता पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि आयोग के कोई दो सदस्य ऐसी सिफारिश के लिए सहमत नहीं हैं तो आयोग ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा ।

(3) आयोग, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के चयन और नियुक्ति के लिए, विनियमों द्वारा, ऐसी अन्य प्रक्रिया और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के चयन की प्रक्रिया ।

6. (1) आयोग, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की परस्पर ज्येष्ठता और योग्यता, गुणता तथा उपयुक्तता के ऐसे किन्हीं अन्य मानदंडों के आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सिफारिश करेगा ।

(2) आयोग, किसी व्यक्ति की उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने के प्रयोजनार्थ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से नामनिर्देशन की ईप्सा करेगा ।

(3) आयोग, योग्यता, गुणता और उपयुक्तता के ऐसे किसी अन्य मानदंड के आधार पर भी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उन व्यक्तियों में से, जो संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (2) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के पात्र हैं, उनको उस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उनके नाम नामनिर्दिष्ट करेगा और उन नामों को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को उसके विचारों के लिए अग्रेषित करेगा :

(4) संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति उपधारा (2) के अधीन कोई नामनिर्देशन करने या उपधारा (3) के अधीन अपने विचार प्रकट किए जाने के पूर्व उस उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से और उस उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों और प्रख्यात अधिवक्ताओं से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, परामर्श करेगा ।

(5) आयोग, उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन विचार और नामनिर्देशन प्राप्त करने के पश्चात्, उस व्यक्ति की, जिसे योग्यता, गुणता और उपयुक्तता के किसी अन्य मानदंड के आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपयुक्त पाया जाता है, नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकेगा ।

(6) यदि आयोग के कोई दो सदस्य ऐसी सिफारिश के लिए सहमत नहीं हैं तो आयोग इस धारा के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं करेगा ।

(7) आयोग, ऐसी सिफारिश करने के पूर्व, संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति के विचार, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लिखित में प्राप्त करेगा ।

(8) आयोग, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के चयन और नियुक्ति के लिए, विनियमों द्वारा, ऐसी अन्य प्रक्रिया और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो आवश्यक समझी जाएं ।

राष्ट्रपति की पुनर्विचार की अपेक्षा करने की शक्ति ।

7. (1) राष्ट्रपति, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा :

परंतु राष्ट्रपति, यदि आवश्यक समझे, आयोग से उसके द्वारा की गई सिफारिश पर, साधारणतया या अन्यथा, पुनर्विचार किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा :

परंतु यह और कि यदि आयोग ऐसी सिफारिश पर पुनर्विचार करने के पश्चात् सर्वसम्मत सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति तदनुसार नियुक्ति करेगा ।

आयोग के अधिकारी और कर्मचारी ।

8. (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से, इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के निर्वहन के लिए उतने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने आवश्यक समझे जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा

के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित किए जाएं ।

(3) भारत सरकार के न्याय विभाग का सचिव आयोग का संयोजक होगा ।

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण ।

9. आयोग, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय की स्थानान्तरण किए जाने की सिफारिश करेगा और इस प्रयोजन के लिए विनियमों द्वारा ऐसे स्थानान्तरण की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा ।

आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।

10. (1) आयोग को अपने कृत्यों के निर्वहन की प्रक्रिया, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने की शक्ति होगी ।

(2) आयोग ऐसे समय और स्थान पर बैठकें करेगा, जो चेयरपर्सन निदेश दे और वह अपनी बैठकों के कारबार के संव्यवहार के बारे में (जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है) ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुपालन करेगा, जो वह विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

11. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसें नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) संविधान के अनुच्छेद 124क के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट विख्यात व्यक्तियों को संदेय फीस और भत्ते ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें ;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना होगा ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

12. (1) आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की बाबत उपयुक्तता का मानदंड ;

(ख) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के चयन और उसकी नियुक्ति के लिए अन्य प्रक्रिया और शर्तें ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की बाबत उपयुक्तता का मानदंड ;

(घ) ऐसे न्यायाधीश और अन्य प्रख्यात अधिवक्ता, जिनसे धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा परामर्श किया जाएगा ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन राज्यपाल के विचार प्राप्त करने की रीति ;

(च) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के चयन और उसकी नियुक्ति के लिए अन्य प्रक्रिया और शर्तें ;

(छ) धारा 9 के अधीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों

का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानान्तरण ;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(झ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन आयोग की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के बारे में, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया-नियम ;

(ञ) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए अथवा जिसकी बाबत विनियम द्वारा उपबंध किया जाना है ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

13. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

14. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ;

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसके अंतर्गत एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों का स्थानान्तरण भी है, संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट हैं । उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-आन-रिकार्ड एसोसिएशन *बनाम* भारत संघ वाले मामले में और उसके द्वारा वर्ष 1998 थर्ड जज़ेज वाले मामले में अपनी सलाहकारी राय में संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) और अनुच्छेद 217 के खंड (1) का "परामर्श" के अर्थ के संबंध में "सहमति" के रूप में निर्वचन किया है । जिसके परिणामस्वरूप, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया-ज्ञापन तैयार किया गया था, जिसका नियुक्ति के लिए अनुसरण किया जा रहा है ।

2. सुसंगत संवैधानिक उपबंधों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का पुनर्विलोकन करने तथा प्रख्यात न्यायविदों से परामर्श करने के पश्चात्, यह महसूस किया गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने हेतु एक व्यापक आधार वाले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग की स्थापना की जानी चाहिए । उक्त आयोग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रख्यात व्यक्तियों को अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में अर्थपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाते हुए उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को जवाबदार बनाएगा । इसको ध्यान में रखते हुए, एक विधेयक, अर्थात् संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 संसद् में पुरःस्थापित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग की स्थापना का उपबंध है जिससे वह विनिर्दिष्ट कृत्यों का निवर्हन कर सके ।

3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 में, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ करने की समय-सीमा तथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया का उपबंध है । इसमें यह और उपबंधित है कि यदि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग के दो सदस्य आपस में सहमत नहीं हैं तो आयोग ऐसी सिफारिश नहीं करेगा । इसमें यह भी उपबंधित है कि राष्ट्रपति, यदि आवश्यक हो तो आयोग से उस सिफारिश पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा । तथापि, यदि आयोग ऐसा पुनर्विचार किए जाने पर सर्वसम्मत सिफारिशें करता है तो राष्ट्रपति तदनुसार नियुक्ति करेगा ।

4. इसके अतिरिक्त, विधेयक में यह उपबंधित है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उपयुक्तता के मानदंडों को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तें, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया और आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करते हुए विनियम बना सकेगा ।

5. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को व्यापाक आधार प्रदान करने, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रख्यात व्यक्तियों की सहभागिता को समर्थ बनाने और अत्यधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उद्देश्यपरकता सुनिश्चित करने के लिए ईप्सित है ।

6. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 अगस्त, 2014.

रवि शंकर प्रसाद

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 8 के उपखंड (1) में यह उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग के कृत्यों के निवर्हन के लिए उतने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने वह आवश्यक समझे ।

2. खंड 8 के उपखंड (3) में यह उपबंधित है कि भारत सरकार के न्याय विभाग का सचिव, आयोग का संयोजक होगा ।

3. खंड 10 के उपखंड (2) की मद (क) में यह उपबंधित है कि प्रख्यात व्यक्तियों को संदेय फीस और भत्ते वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

4. पूर्वोक्त उपबंधों के कारण विद्यमान स्थापन/सचिवालय के अतिरिक्त, अपेक्षित अतिरिक्त कार्मिकों के मद्दे व्यय लगभग तीन करोड़ रुपए का होगा । इस प्रक्रम पर, निश्चित व्ययों, आवर्ती और अनावर्ती, दोनों, का, जिनके वित्तीय वर्ष 2014-2015 में अंतर्वलित होने की संभावना है, प्राक्कलन करना व्यवहार्य नहीं है । तथापि, व्ययों को भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 11, केंद्रीय सरकार को विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है । वे विषय, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, इस प्रकार हैं,--(क) संविधान के अनुच्छेद 124क के खंड (घ) के अधीन विख्यात व्यक्तियों को संदेय फीस और भत्ते ; (ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ; और (ग) कोई अन्य ऐसा विषय, जिसकी बाबत नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना होगा ।

2. विधेयक का खंड 12, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग को, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करता है । वे विषय, जिनकी बाबत विनियम बनाए जा सकेंगे--(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बाबत उपयुक्तता के मानदंड ; (ख) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया ; (ग) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बाबत उपयुक्तता के मानदंड ; (घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे अन्य न्यायाधीश और प्रख्यात अधिवक्ता, जिनसे मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा परामर्श किया जा सकेगा ; (ङ) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन राज्यपाल और मुख्यमंत्री से विचार प्राप्त करने की रीति ; (च) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के चयन और नियुक्ति की अन्य प्रक्रिया और शर्तें ; (छ) धारा 9 के अधीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरण किए जाने की प्रक्रिया ; (ज) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; (झ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन आयोग की बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के नियम ; और (ञ) ऐसे किसी अन्य विषय के संबंध में हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

3. केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम और आयोग द्वारा बनाए गए विनियम, उनके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे ।

4. वे विषय, जिनकी बाबत नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

GMGIPMRND—2119LS(CRC)—8-8-2014.